संवैधानिक प्रावधान

संघ की राजभाषा

343(1)संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा :-
(क) अंग्रेजी भाषा का, या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबन्ध कर सकेगी जो ऐसे विधि में विर्निदिष्ट किया जाएँ ।

CONSTITUTIONAL PROVISION

Language of the Union

343. (1) The Official Language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
The form of numerals to be used for the official pursposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.
(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement.
Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Not with standing anything in this article parliament may by law provide for the use after the said period of fifteen years of

a. the english language or

b. the Devanagari form of numerals,

for such purpose as may be specified by the Law.

संविधान के अनुच्छेद-343 के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र, राजभाषा नियम 1976 के नियम क्रमांक 10(4) के तहत् अधिसूचित संस्थान है । राजभाषा विभाग द्वारा

क्षेत्र विभाजन में यह 'क' क्षेत्र में आता है, जहाँ शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में होना है ।

राजभाषा विभाग द्वारा टंकण, आशुलिपि तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था है ।

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दीतर भाषी कार्मिकों हेतु प्रबोध,प्रवीण, प्राज्ञ पत्राचार पाठ्यक्रम की परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है । इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर, ऐसे कार्मिकों को एकमुश्त पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है । प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कार्मिकों को एकमुश्त पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है । इसके अलावा एक वर्ष तक (12 माह) एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि प्रोत्साहन राशि बतौर प्रतिमाह दी जाती है ।

सेल मुख्यालय, कार्यालयीन हिन्दी डिप्लोमा कोर्स (पत्राचार पाठ्यक्रम) द्वारा हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों को कार्यालयीन हिन्दी ज्ञान हेतु निःशुल्क शिक्षण प्रदान करता है ।

हिन्दी डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर एकमुश्त नकद राशि बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

यदि कोई हिन्दीतर भाषी कार्मिक (आशुलिपिक) हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे एकमुश्त नकद पुरस्कार के अलावा प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन के रूप में एक वर्ष के लिए दो वेतन वृद्धियों के बराबर राशि तथा आगत 12 माह में एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि प्रदान की जाती है ।

जो कार्मिक हिन्दी में अच्छा कार्य करते हैं उन्हें हिन्दी दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है ।

कार्मिकों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य का उल्लेख उनके सी.आर में किया जाता है ।

राजभाषा विभाग द्वारा निःशुल्क द्विभाषी शब्दावली पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है ।

हिन्दी में कार्य करने से आत्मसंतोष एवं राष्ट्रीय अस्मिता का

आभास होता है ।

भारत सरकार गृह मंत्रालय विभाग द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करना कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है ।

संस्थान विभाग प्रमुख कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रति उदासीनता बरतने के लिये उत्तरदायी माने जायेंगे ।

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है जिसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।